

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जिला

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प जिला

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टारी 9/2/11/11 व भूअनि 9355 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार डी.एम. नायब तहसीलदार डी.एम. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खाताना तहसील डी.एम. व जिला राजसमंद की जमाबन्दी सम्वत् 1950 में खाता संख्या 127, 128, 129, 130, 131, 140 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खाताना	127	1. जीतमल फुड डुन्नीलाल	जीतमल फुड केशाना
		128	2. केशीलाल फुड डुन्नीलाल	केशीलाल फुड केशाना
		129	3. बालू फुड डुन्नीलाल	बालू फुड केशाना
		130	4. मांगीलाल फुड डुन्नीलाल	मांगीलाल फुड केशाना
		131	5. करीमा फुड डुन्नीलाल	करीमा फुड केशाना
		140	6. देवलाल फुड डुन्नीलाल	देवलाल फुड केशाना

(for)
 सहायक पीठासीन अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर, जिला-राजसमंद

क्रमांक :- 25/374

दिनांक :- 16/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार डी.एम. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री डी.एम. को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(for)
 सहायक पीठासीन अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमंद